न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 95 सन 2022

अनवान :–

1. हनुमान पुत्र सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. अमरपति पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तसहील नोहर।
3. धापी देवी पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तसहील नोहर।
4. भागवन्ती पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तसहील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 10/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 157/401 की कुल 1.3920हैक में से 1/3 हिस्सा रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 52/121 की कुल 2.0240हैक में से 1/3 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 107/81 की कुल 2.9095हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 40/40 की कुल 15.9390हैक में से 8381/159390 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 159/149 की कुल 4.0480हैक मे से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 157/157 की कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 524/207 की कुल 1.2520हैक व रोही मोजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 147/148 की कुल 2.5300हैक में से 2/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम वादी का पिता है जिसका देहान्त हो चुका है सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम के जाजय वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन

उपखण्ड-अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम वादी का पिता है जिसका देहान्त हो चुका है सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम के जाजय वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 157/401 की कुल 1.3920हैक में से 1/3 हिस्सा रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 52/121 की कुल 2.0240हैक में से 1/3 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 107/81 की कुल 2.9095हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 40/40 की कुल 15.9390हैक में से 8381/159390 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 159/149 की कुल 4.0480हैक मे से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 157/157 की कुल 1.5180हैक व रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 524/207 की कुल 1.2520हैक व रोही मोजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 147/148 की कुल 2.5300हैक में से 2/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम वादी का पिता है जिसका देहान्त हो चुका है सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम के जाजय वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं सम्पतराम उर्फ सम्पत पुत्र मगनीराम उर्फ मगनी उर्फ मगाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 157/401 की कुल 1.3920हैक में से 1/3 हिस्सा रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 52/121 की कुल 2.0240हैक में से 1/3 हिस्सा , रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 107/81 की कुल 2.9095हैक भूमि व रोही मौजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 40/40 की कुल 15.9390हैक में से 8381/159390 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 159/149 की कुल 4.0480हैक मे से 1/3 हिस्सा व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 157/157 की कुल 1.5180हैक व रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 524/207 की कुल 1.2520हैक व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 147/148 की कुल 2.5300हैक में से 2/5 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है सम्पतराम उर्फ सम्पत के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवचारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुती एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 157/401 की कुल 1.392हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 52/121 की कुल 2.0240हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 107/81 की कुल 2.9095हैक व रोही मोजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 40/40 की कुल 15.9390हैक में से 8381/159390हिस्सा भूमि सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 159/149 की कुल 4.0480हैक में से 1/3 हिस्सा सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 0.506हैक भूमि का वादी एव शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 157/157 की कुल 1.5180हैक व रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 524/207 की कुल 1.252हैक भूमि व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 147/148 की कुल 2.5300हैक में से 2/5 हिस्सा भूमि सम्पतराम उर्फ सम्पत एवं 3/10 हिस्सा भूमि शान्तिदेवी पत्नी सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनगुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हनुमान पुत्र सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजेन्द्र कुमार पुत्र सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. अमरपति पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तसहील नोहर।
3. धापी देवी पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तसहील नोहर।
4. भागवन्ती पुत्री सम्पतराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तसहील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 95 सन 2022 निर्णय दिनांक–10/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 157/401 की कुल 1.392हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 52/121 की कुल 2.0240हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मोजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 107/81 की कुल 2.9095हैक व रोही मोजा चक 13 जेएसएन के खाता संख्या 40/40 की कुल 15.9390हैक में से 8381/159390हिस्सा भूमि सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 159/149 की कुल 4.0480हैक में से 1/3 हिस्सा सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर 0.506हैक भूमि का वादी एव शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 157/157 की कुल 1.5180हैक व रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 524/207 की कुल 1.252हैक भूमि व रोही मौजा चक 12 जेएसएन के खाता संख्या 147/148 की कुल 2.5300हैक में से 2/5 हिस्सा भूमि सम्पतराम उर्फ सम्पत एवं 3/10 हिस्सा भूमि शान्तिदेवी पत्नी सम्पतराम उर्फ सम्पत के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/03/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner